Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July-December 2023 4(2), 4136–4141

POLITICAL CULTURE OF BAHUJAN SAMAJ PARTY: FROM THE TIME OF ITS INCEPTION TO 2020

बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक संस्कृति: स्थापना काल से 2020 तक

Rakesh Kumar Jaiswal [1]

[1] Department of Political Science, Government College, Badaun, Uttar Pradesh

ABSTRACT

English: Political culture includes the attitudes, beliefs, dedication and values of the people of a country towards its political system. In other words, the political beliefs, feelings and attitudes of the people in the context of the political system are collectively called political culture. Political culture is an important and new approach of modern political science. It is an attempt to integrate psychology and sociology so that political analysis can be used correctly. The advent of political culture has been accepted in the literature of political science since 1956. According to Almond and Powell, "Political culture includes such attitudes, beliefs, values and art which are prevalent in the entire population. It also includes those tendencies and patterns which are found in different parts of that population." According to Lucian Pye, "Political culture is a group of attitudes, beliefs and sentiments which give order and meaning to political knowledge and which provide the underlying assumptions and rules on the basis of which the behaviour of the political system is controlled. Political ideals and the prevalent characteristics of the political system also come under its ambit. Thus, political culture is a collective expression of psychological and subjective moments." According to Finer, "The political culture of a nation mainly reveals the legitimacy of rulers, political institutions and political processes."

Hindi: राजनीतिक संस्कृति में किसी देश की राजनीतिक प्रणाली के प्रति वहां के लोगों के दृष्टिकोण, विश्वास, लगन तथा मूल्य समाहित हैं। दूसरे शब्दों में राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में लोगों के राजनीतिक विश्वास, भावनाएं और दृष्टिकोण होते हैं, उन्हें सामूहिक रूप में राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। राजनीतिक संस्कृति आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण तथा नवीन दृष्टिकोण है। यह मनोविज्ञान और समाज शास्त्र को एकीकृत करने का प्रयास है ताकि राजनीतिक विश्लेषण सही प्रयुक्त हो सके। राजनीति शास्त्र के साहित्य में राजनीतिक संस्कृति का आगमन 1956 से स्वीकार किया जाता है। आमंड एवं पावेल के विचारानुसार, "राजनीतिक संस्कृति में ऐसे दृष्टिकोण, विश्वास, मूल्य और कला मिलती है जो संपूर्ण जनसंख्या में प्रचलित हैं। इसमें वे प्रवृतियां और नमूने भी सम्मिलित है जो उस जनसंख्या के विभिन्न भागों में मिलते हैं।" ल्यूसियन पाई के अनुसार, "राजनीतिक संस्कृति ऐसे दृष्टिकोणों, विश्वासों और भावनाओं का समूह है जो राजनीतिक विद्दि को व्यवस्था एवं अर्थ प्रदान करता है और जो उन निहित धारणाओं और नियमों की व्यवस्था करते हैं जिनके आधार पर राजनतिक प्रणाली के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। राजनीतिक आदर्श और राजनीतिक प्रणाली के प्रचलित लक्षण भी इसके वृत में आते हैं। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति के मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिनिष्ठ पलों की सामूहिक रूप में अभिव्यक्ति है।" फाईनर के अनुसार "राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति मुख्य रूप से शासकों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं की औचित्यपूर्णता को प्रकट करती है।"

Keywords: Bahujan Samaj Party, Politics, Culture, Establishment Period, बहुजन समाज पार्टी, राजनीतिक, संस्कृति, स्थापना काल

DOI
10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.4730

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

1. प्रस्तावना

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसका गठन 1984 में हुआ था। बीएसपी का कहना है कि यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है - जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और

अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य के रूप में जाना जाता है - साथ ही इसमें अन्य अन्य धार्मिक और सामाजिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। बीएसपी के मुख्य समर्थक समूह में मुख्य रूप से दलित (अनुसूचित जाति, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था) शामिल हैं। पार्टी जाति व्यवस्था की असमानताओं के विरोध और मुखर आलोचना के अलावा किसी विशेष विचारधारा का समर्थन नहीं करती है, और इसके मुख्य सिद्धांत भारतीय वंचित समाज के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें बनाए रखने पर केंद्रित हैं।

पार्टी के निर्माण की प्रेरणापुंज, लंबे समय से दलित उत्थान के प्रति समर्पित नेता और संवैधानिक निर्माता डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर (1891-1956) हैं। स्व काशीराम (1934-2006), एक दलित और सिविल सेवा के अधिकारी थे जो डॉ अंबेडकर के लेखन को पढ़ने और जातिगत भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद 1960 के दशक में दलित समर्थक सक्रियता में शामिल हुए। दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों को संगठित करने के प्रयासों ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी राजनीतिक सक्रियता को धार दिया और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए पूरे देश की यात्रा की। 1984 में उन्होंने पार्टी की स्थापना की और 2003 में कुमारी मायावती द्वारा उनके उत्तराधिकारी बनने तक इसका नेतृत्व किया। हालाँकि काशीराम पार्टी के संस्थापक और मुख्य आधार स्तम्भ थे, लेकिन मायावती ने पार्टी को भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत के रूप में आकार दिया और पोषित किया। उत्तर प्रदेश लंबे समय तक बीएसपी का गढ़ रहा और पार्टी की पंजाब राज्य में भी उपस्थिति बनी रही।

बीएसपी को पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता 1993 में मिली, जब उसने उत्तर प्रदेश के शासन के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। हालांकि, 1995 में, बीएसपी ने गठबंधन छोड़ दिया और मायावती, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, राज्य में मुख्यमंत्री बन गईं। उनका पहला कार्यकाल छः महीने से भी कम समय तक चला, जब तक कि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस नहीं ले लिया। बीएसपी ने 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की, जिसमें विधानसभा की 403 सीटों में से 206 सीटें जीतीं। इस जीत का श्रेय काफी हद तक पार्टी की मूल विचारधारा में आमूलचूल बदलाव को दिया गया, जिसमें केवल निम्न-जाति के समर्थन आधार पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर उच्च जातियों सहित सभी भारतीय समुदायों को शामिल किया गया। 2004 में मायावती ने ब्राह्मण वकील सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि 2007 के चुनावों में बीएसपी के उम्मीदवार पार्टी द्वारा लड़ी गई तीन-चौथाई से अधिक सीटों पर या तो जीते या दूसरे स्थान पर रहे। सरकार ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें मायावती मुख्यमंत्री बनीं रहीं।

हालांकि, बीएसपी का प्रशासन भ्रष्टाचार, बेशर्मी से खुद को बढ़ावा देने तथा जीते जी खुद की प्रतिमा स्थापित करना, कई वित्तीय घोटालों आदि के लिए जाना जाता है। इन मुद्दों के कारण 2012 के राज्य विधानसभा चुनावों में बीएसपी का पतन हुआ। पार्टी केवल 80 सीटें जीतने में सफल रही और उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और अपमानित मायावती ने कुछ समय के लिए राजनीतिक गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया। हालांकि, उच्च पद की आकांक्षाओं के साथ वह जल्दी ही वापस लौट आईं।

बीएसपी राष्ट्रीय राजनीति में भी एक ताकत रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसके सदस्यों की संख्या आम तौर पर कम लेकिन प्रभावशाली रही है। एक नियम के रूप में, पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राजनीतिक दलों या समूहों के साथ गठबंधन से परहेज किया है, कुछ अपवादों को छोड़कर (जैसे, 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ)। यह गठबंधनों का समर्थन करने के लिए अधिक इच्छुक है, लेकिन गठबंधन में शामिल नहीं होता है, जैसा कि इसने 2009 में किया था, जब लोकसभा में इसके 21 सदस्यों ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में) को उस सदन में बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने की अनुमति दी थी। हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनावों में, बीएसपी एक भी सीट जीतने में विफल रही।

2. उद्देश्य

भारत में बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल का विश्लेषण करना।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का प्रदर्शन।

बहुजन समाज में राजनैतिक एकता और उनकी एकजुटता।

3. परिणाम

बहुजन समाज पार्टी ने बहुजनों को संगठित किया। काशीराम ने 1978 में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना की। शुरुआत में इस संगठन ने कर्मचारियों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर भारतीयों, मुसलमानों और पृथक जातियों को संगठित करना शुरू किया। इस संगठन का नव बौद्ध समुदाय पर बहुत अधिक प्रभाव है। शुरुआत में तेईस नव बौद्ध, एक ग्रेवाल और एक रामदासी इस संगठन के सदस्य बने। फिर काशीराम गैर बौद्ध जातियों को संगठित करना चाहते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक आंदोलन के लिए गैर बौद्ध जातियों को संगठित करने की योजना बनाई। 1982-83 में राजनीति में सक्रिय भागीदारी के आधार पर संगठन दो समूहों में विभाजित हो गया। काशीराम राजनीति में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 6 दिसंबर 1982 को दलित शोषित संघर्ष समिति की स्थापना की। और फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज

पार्टी की स्थापना की। काशीराम बहुजनों को संगठित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बसपा के संगठनात्मक ढांचे का विस्तार किया। 'पंद्रह प्रतिशत उच्च जाति बनाम पच्चासी प्रतिशत बहुजन' यह संघर्ष का मुद्दा बसपा ने उठाया था।

बसपा के अनुसार महाराष्ट्र में बहुजन का मतलब मराठा, ओबीसी, एससी और मुस्लिम है। लेकिन नव बौद्ध ओबीसी से ज्यादा प्रभावित थे। बसपा कार्यसमिति में पच्चीस में से सोलह नव बौद्ध सदस्य थे। ओबीसी को बसपा में कोई स्थान या भूमिका नहीं मिली। ओबीसी नेता महादेव जानकर ने इस मुद्दे पर बसपा की आलोचना की। 2000 के बाद बसपा ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। बसपा ने संगठन में ओबीसी, मुस्लिम को शामिल करने की कोशिश की। नव बौद्ध और ओबीसी जाति गठबंधन की नीति को बसपा ने 2003 में अपनाया। इस नीति ने आरपीआई और बहुजन महासंघ को प्रभावित किया। आरपीआई और बहुजन महासंघ का बहुजन वोट बीएसपी में चला गया। इस नीति के कारण बीएसपी महाराष्ट्र में एक पार्टी के रूप में उभरी। उनकी नीतियों के कारण बीएसपी के वोट बढ़ गए और बहुजन महासंघ के वोट कम हो गए। 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 145 उम्मीदवार दिए थे। 145 में से 119 नए बौद्ध और चर्मकार उम्मीदवार थे। केवल 26 उम्मीदवार दलित जातियों से नहीं थे। यह स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र में नए बौद्धों को संगठित करने के लिए बीएसपी के मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है।

जाति के आधार पर बसपा महाराष्ट्र की राजनीति में प्रवेश नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस और बहुजन महासंघ के दलित वोट बसपा में चले गए। इसका असर कांग्रेस और बहुजन महासंघ पर पड़ा। 2004 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बसपा ने नव बौद्ध और ओबीसी को लामबंद किया। पार्टी ने 272 उम्मीदवार दिए। चुनाव में मायावती ने स्वतंत्र विदर्भ राज्य और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से अलग नया विदर्भ राज्य बनाने का आश्वासन दिया। इस चुनाव में बसपा ने 272 उम्मीदवारों में से 177 ओबीसी उम्मीदवार (65.07%) और 93 एससी उम्मीदवार (34.01%) दिए। धनगर, माली, कोस्टी किसान ओबीसी को बसपा से विदर्भ में उम्मीदवार मिले। इस वजह से विदर्भ में बसपा के वोट बढ़े। बसपा को विदर्भ में 9.3% वोट मिले। उन निर्वाचन क्षेत्रों में बसपा ने ओबीसी उम्मीदवारों को अधिक वोट दिए।

नव बौद्ध, मातग और वाल्मीकि इन दलित जातियों को भी चुनाव में उम्मीदवारी मिली। दस निर्वाचन क्षेत्रों में इन दलित उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत से अधिक वोट मिले। बीएसपी 1978 से महाराष्ट्र की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहती थी लेकिन सफल नहीं हुई। बीएसपी की सत्ता की राजनीति केवल कुछ सीटों पर सफल रही। लेकिन बीएसपी महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने में विफल रही। 2009 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीएसपी मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकी। इस चुनाव में बीएसपी का नारा था ' हाथी नहीं, यह गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है'। इस नारे का इस्तेमाल बीएसपी ने महाराष्ट्र में उच्च और मध्यम जातियों को लामबंद करने के लिए किया। इस नीति के कारण बीएसपी की ब्राह्मण विरोधी की पिछली भूमिका बदल गई थी। ब्राह्मण विरोधी मुद्दे को नरम रूप दिया गया। महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में बीएसपी मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकी। बहुजनवादी राजनीति जाति के विपक्षी क्षेत्रों में उभरी लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी का प्रदर्शन

तालिका 1 उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का प्रदर्शन

चुनाव वर्ष	प्रत्याशितायुक्त सीटों की संख्या	विजिट सीटें	वोट प्रतिशत	लड़ी गई सीटों पर कुल वोट प्रतिशत
1989	372	13	9.41	10.72
1991	386	12	9.44	10.26
1996	296	67	19.64	27.73
2002	401	98	23.06	23.19
2007	403	206	30.43	30.43

1989 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में BSP ने 372 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 13 सीटें जीतीं। उन्हें 10.72 प्रतिशत वोट मिले। 1991 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में BSP का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 386 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 12 सीटें जीतीं और उन्हें 10.26 प्रतिशत वोट मिले। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में BSP की स्थिति अभी भी बनी हुई है। 1993 के बाद से BSP की भूमिका और स्थिति उत्तर प्रदेश में पूरी तरह बदल गई। 1993 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में BSP ने मात्र 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और 67 सीटें जीतीं। 1989 और 1991 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों की तुलना में यह BSP की सर्वाधिक सीटें हैं। उन्हें 28.52 प्रतिशत वोट मिले 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सिर्फ़ 296 सीटों पर चुनाव लड़ा और 67 सीटें जीतीं। उन्हें 27.73 प्रतिशत वोट मिले। इसका मतलब है कि 1993 की तुलना में बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उनकी सीटें अब भी बची हुई हैं लेकिन वोट कम हुए हैं। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सिर्फ़ 401 सीटों पर चुनाव लड़ा और 98 सीटें जीतीं। उन्हें 23.19 प्रतिशत वोट मिले। पहली बार बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। उनकी सीटें बढ़ीं लेकिन वोट कम हुए। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सिर्फ़ 403 सीटों पर चुनाव लड़ा और 206 सीटें जीतीं। उन्हें 30.43 प्रतिशत वोट मिले

बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन

तालिका: 2: लोकसभा में बसपा का प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन					
चुनाव वर्ष	प्रतिशता वाली सीटों की संख्या	विजिट सीटों की संख्या	वोट प्रतिशत	प्रत्याशिता वाली सीटों का वोट प्रतिशत	राज्यों में प्राप्त सीटें
1989	245	03	2-07	4.53	पंजाब-1, उ.प्र.-2
1991	231	02	1.61	3.64	मध्यप्रदेश-1, उ. प्र.-1
1996	210	11	4.02	11.21	म.प्र.-2, पंजाब-3, उ.प्र.-04
1998	251	05	4.67	9.84	हरियाणा-1, उ. प्र.-04
1999	225	14	4.16	9.97	उ. प्र.-14
2004	435	19	5.33	6.66	उ. प्र.-19
2009	500	21	6.17	-	म. प्र.-1- उ. प्र.-20
2014	503	00	4.19	-	-
2019	383	10	3.67	-	उ. प्र.-10

1989 से बीएसपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। पूरे भारत में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन केवल चार राज्यों में उन्हें सफलता मिली। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा ये चार राज्य हैं, जहां बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश बीएसपी के लिए गढ़ है। भारत के अन्य राज्यों में उन्हें सफलता नहीं मिली है। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने पूरे भारत में 245 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 03 सीटें जीतीं। एक पंजाब से और अन्य दो उत्तर प्रदेश से। उन्हें 4.53 प्रतिशत वोट मिले। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 231 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 02 सीटें जीतीं और 3.64 प्रतिशत वोट मिले। एक उत्तर प्रदेश से और एक अन्य मध्य प्रदेश से बीएसपी ने अपना खाता खोला। पंजाब में बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली 1996 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 210 सीटों पर चुनाव लड़ा और 11 सीटें जीतीं तथा 11.21 प्रतिशत वोट प्राप्त किए। यह बीएसपी का लोकसभा चुनाव में सर्वोच्च प्रदर्शन था। उन्होंने 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतीं। उत्तर प्रदेश में उन्हें छह सीटें मिलीं। यह सबसे अधिक सीटें हैं।

उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में उन्हें दो सीटें मिलीं और पंजाब में उन्हें तीन सीटें मिलीं। 1998 के लोकसभा चुनाव में BSP ने 251 सीटों पर चुनाव लड़ा और 05 सीटें जीतीं और 9.84 प्रतिशत वोट प्राप्त किए। BSP ने हरियाणा में अपना खाता खोला। उन्हें हरियाणा में एक सीट मिली। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पिछली दो सीटें खो दीं। 1999 के लोकसभा चुनाव में BSP ने 225 सीटों पर चुनाव लड़ा और 14 सीटें जीतीं और 9.97 प्रतिशत वोट प्राप्त किए। उन्हें उत्तर प्रदेश में चौदह सीटें मिलीं। यह उत्तर प्रदेश में BSP का सर्वोच्च प्रदर्शन है। किसी अन्य राज्य में BSP ने सीटें नहीं जीतीं। 2004 के लोकसभा चुनाव में BSP ने 435 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीतीं और 6.66 प्रतिशत वोट प्राप्त किए। उन्हें उत्तर प्रदेश में उन्नीस सीटें मिलीं 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 500 सीटों पर चुनाव लड़ा और २१ सीटें जीतीं। उन्हें उत्तर प्रदेश में बीस सीटें मिलीं और उत्तर प्रदेश में एक सीट मिली। निष्कर्ष: १९८९ से १९९१ तक मराठा प्रभुत्वों का बहुजनवादी राजनीति द्वारा विरोध किया गया लेकिन बहुजन राजनीति को शक्तिशाली दलीय स्वरूप नहीं मिला। बहुजन राजनीति की मुख्य सफलता यह थी कि अच्छी तरह से चयनित राजनीतिक दलों ने बहुजन नेताओं को महत्व दिया। बहुजनवादी राजनीति जगह बनाने में सफल नहीं हुई। वे मराठा से कुनबियों को अलग करने या गरीब मराठा को अमीर मराठा से अलग करने में सफल नहीं हो सके। लेकिन वे राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी पाने में सफल रहे। १९९८-९९ में जाति संगठन का महत्व बढ़ गया यह बसपा की बहुजनवादी राजनीति की मुख्य सीमा है।

वर्तमान समय में बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियों का उभार तेजी से हो रहा है। हर रोज नई-नई राजनीतिक पार्टियाँ जन्म ले रहीं है। राजनीतिक पार्टियों को सामाजिक नैतिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है। लेकिन बहुजन समाज अपेक्षाकृत संसाधन जुटाने में कमजोर है। इसलिए बहुजन समाज जरुरी संसाधनों की पूर्ति करने के लिए अपने समाज की तरफ देखता है और उम्मीद रखता है कि बहुजन समाज के सभी जातीय घटक राजनैतिक पार्टियों को बनाने और चलाने में मदद करें। 80 के दशक में बहुजन समाज के महापुरुष मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने बहुजन समाज के पास राजनैतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए नारा दिया था कि हमें 'आपका एक वोट और एक नोट चाहिए'तभी बहुजन समाज का प्रत्याशी धन्नासेठों की पार्टियाँ का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन आज हम मान्यवर साहेब कांशीराम जी के इस नारे से 40 वर्ष आगे बढ़ चुके हैं। आज के समय में इस नारे को सार्थक करने के लिए और मनुवादी संस्कृति की पार्टियों का मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज के प्रत्याशियों को

आज 'एक वोट और 10 के नोट' की आवश्यकता होगी। अगर आज बहुजन समाज का प्रत्येक वोटर्स बिना ब्राह्मणी संस्कृति के जाल में फँसे बहुजन समाज के प्रत्याशी को अपना एक वोट और 10 का नोट देकर समर्थन करता है

तो अवश्य ही बहुजन समाज का प्रत्याशी बहुजन समाज की ताकत से जीतकर विधान सभा या लोकसभा में पहुंचेगा। तभी वह बहुजन समाज के हित से जुड़े मुद्दे विधान सभा या लोकसभा में उठा पाएगा। इतना ही नहीं बहुजन समाज का प्रत्याशी जब अपने बल से जीतकर विधान सभा या लोकसभा में पहुँचेगा तो उसमें अपना नैतिक बल भी होगा और जिस व्यक्ति में नैतिक बल होगा उसे ब्राह्मणी संस्कृति के लोग परास्त नहीं कर पायेंगे। आज देश की लोकसभा में आरक्षित सीटों से जीतकर 131 सांसद हैं लेकिन ये सभी सांसद अपनी या अपने समाज की ताकत से जीतकर लोकसभा में नहीं पहुँचे हैं। इसलिए उनमें उनका नैतिक बल शून्य है जिसके कारण ये सभी 131 सांसद लोकसभा में समाज से जुड़े सवाल खड़े नहीं करते और न इनमें समाज से जुड़े मुद्दे उठाने की ताकत होती है। इनका सांसद बनना या न बनना समाज के लिए कोई मायने नहीं रखता। सामाजिक जरूरत के हिसाब से राजनीति पैत्ररेबाजी तथा राजनीतिक कौशल से काम करना चाहिए। इस सबके लिए बहुजन समाज में राजनैतिक एकता और उनकी एकजुटता अहम कार्य करेगी।

बहुजन समाज में कैसे मजबूत हो एकजुटता?: बहुजन समाज बिखरा हुआ समाज है और ब्राह्मण-बनिया संस्कृति के लोगों ने बहुजन समाज में अधिक-से-अधिक बिखराव करके उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण-बनिया संस्कृति के लोग इस तथ्य को उनके संज्ञान में आने ही नहीं देते और उन्हें यह जानने ही नहीं देते कि ब्राह्मण-बनिया संस्कृति बहुजन समाज का दोहन और शोषण कर रही है। कृत्रिम रूप से बहुजन समाज में क्रमिक ऊंच-नीच को विभिन्न माध्यमों और ब्राह्मणी संस्कृति के पाखंडी कार्यक्रमों के द्वारा मजबूत बनाया जा रहा है। धार्मिक और संस्कृति क्रियाकलापों के द्वारा उनमें अंधभक्ति का लेप लगाया जा रहा है। हाल का ताजा उदाहरण है कि दीवाली के नाम पर पाखंडी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन पाखंडी कार्यक्रमों में नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, अहोई, धनतेरस, छोटी दीवाली, बड़ी दीवाली, गोवर्धन पूजा, भाई-दौज, छठ पूजा आदि अनेकों कृत्रिम पाखंड समाज में पेश किये जा रहे हैं। जिसके माध्यम से बहुजन समाज का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। जिसका बहुजन समाज के जातीय घटकों को एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनका शोषण और दोहन हो रहा है।

बहुजन समाज के जातीय घटकों में एकता स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक आधार को अपनाना होगा और वैज्ञानिक आधार बड़ा सरल है। हर व्यक्ति को वह आसानी से समझ भी आ जाएगा। आसानी से समझने के लिए आम जन मानस अगर यह समझ ले कि पानी का बहाव प्राकृतिक रूप से ऊपर से नीचे की तरफ होता है जिसे ऊपर से ही रोका जा सकता है। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति अपने जीवन में हर रोज देख रहा है। बहुजन समाज में जो क्रमिक ऊंच-नीच का जहर फैला हुआ है उसे जड़ से समाप्त करने के लिए क्रमिक रूप से जो ऊँचे बने हुए हैं उन्हें ही इसके लिए सबसे पहले पहल करनी होगी। उन्हें ही इस कृत्रिम पाखड़ी जाल को तोड़ना होगा और अपने से नीचे समझी जाने वाली जातियों के साथ मेल-मिलाप और सद्भाव बढ़ाना होगा। जो जातीय घटक क्रमिक रूप से नीचे समझे जाते हैं उनके द्वारा यह कार्यक्रम चलाना उतना सफल नहीं हो पाएगा जितना क्रमिक रूप से ऊँचे समझे जाने वाले जातीय घटक नीचे समझे जाने वाले जातीय घटकों के साथ मेल-मिलाप और सद्भाव बढ़ाने का कार्य करते हैं तो उनमें कोई मनोवैज्ञानिक उलझन भी नहीं होगी। इसलिए ऊँचे समझे जाने वाले जातीय घटक नीचे समझें जाने वाले जातीय घटकों के साथ मेल-मिलाप के माध्यम से एकता को मजबूत करें और क्रमिक ऊँच-नीच की मनोदशा को जड़ से उखाड़ फैकें। तभी सबका कल्याण संभव होगा।

बहुजन राजनीतिक पार्टियां बनायें गठबंधन: बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। समाज में विधान सभा और लोकसभा के चुनाव आमतौर पर चलते ही रहते हैं। इन सभी में बहुजन समाज के जातीय घटकों की भागीदारी और जीत सुनिश्चित कैसे हो? इस पर सभी को विचार-विमर्श करना चाहिए। आज समाज की राजनीतिक पार्टियाँ ब्राह्मणी संस्कृति के जाल में फँसकर अधिक बिखर रहीं है और चुनाव जीतने में विफल हो रहीं है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसके ज्वलंत उदाहरण है। दोनों ही प्रदेशों में बहुजन समाज के महापुरुषों ने अधिक जन जागरण किया और जनता को जगाया, समझाया तथा एकजुट रहने का पाठ भी पढ़ाया। लेकिन राजनीतिक चुनावों में परिणाम महापुरुषों की शिक्षा के उलट ही नजर आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने 'रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया' बनाई और समाज को सौंपकर एकजुट रहने का संदेश भी दिया लेकिन हमारे स्वार्थ और अहम के कारण बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर जैसे महापुरुष के संघर्ष को हमने फेल कर दिया। इतना ही नहीं बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के वंशज भी बाबा साहेब की धरोहर को एकजुट रखने में विफल हुए। वे सभी आज ब्राह्मणी संस्कृति की राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पर स्वार्थवश भटककर दस्तक दे रहे हैं और विधान सभा की एक सीट के लालच में अपने महापुरुषों की अस्मिता को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश जहाँ पर मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने बहन मायवाती जी का साथ लेकर संघर्ष किया और समाज की राजनैतिक जड़ों को मजबूत किया वहाँ पर भी बहन जी ब्राह्मणी संस्कृति के जाल में फँसकर बहुजन समाज को परास्त करने का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का समर्थक और मतदाता हताश है और बहन जी से दिन-प्रतिदिन इस कदर नाराज होता जा रहा है कि उसने अब बहन जी से किनारा कर लिया है।

बहुजन समाज के पास अब एक ही विकल्प है कि सब आपस में एक होकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ें। बहुजन समाज अपने उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो समाज को मजबूत करने के उद्देश्य से एक साथ आकर चुनाव लड़ने के लिए समाज हित में एकमत हों और ऐसे सभी राजनैतिक घटक दल समाज हित को ही सर्वोपरि मानें। समाज हित के सामने सभी राजनैतिक घटकों का स्वार्थ नगण्य होना चाहिए। अगर ऐसा करने में कोई भी सामाजिक घटक साथ नहीं आता है तो पूरा बहुजन समाज एक मत से उसका बहिष्कार करे। बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियों के नियंत्रण के लिए आपसी सहमति से संघ का भी निर्माण करें। जिसका फैसला सभी जातीय घटकों के लिए सर्वोपरि होना चाहिए।

4. निष्कर्ष

1989 से 1991 तक मराठा डोमिनियन ने बहुजनवादी राजनीति का विरोध किया लेकिन बहुजन राजनीति को शक्तिशाली पार्टी का स्वरूप नहीं मिला। बहुजन राजनीति की मुख्य सफलता यह थी कि अच्छी तरह से चुने गए राजनीतिक दलों ने बहुजन नेताओं को महत्व दिया। बहुजनवादी राजनीति जगह बनाने में सफल नहीं हुई। वे मराठा से कुनबाई को अलग करने या गरीब मराठा को अमीर मराठा से अलग करने में सफल नहीं हो सके। लेकिन वे राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी पाने में सफल रहे। 1998-99 में जाति संगठन का महत्व बढ़ गया और कुनबी, माली और डांगर जाति संगठन का राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया। बहुजनवादी राजनीति का उद्देश्य मौजूदा पार्टी राजनीति को बदलना है लेकिन वे इस कार्य में सफल नहीं हुए। यह बीएसपी की बहुजनवादी राजनीति की मुख्य सीमा है।

संदर्भ

अम्बेडकर प्रकाश, 1996, ओबीसी की राजनीति, औरंगाबाद, प्रबुद्ध भारत प्रकाशन।
अम्बेडकर प्रकाश, 1998, नव्य प्रयाचा शोदत, औरंगाबाद, प्रबुद भारत प्रकाशन।
अम्बेडकर प्रकाश, 2003, बहुजन आंदोलन: विचारधारा एवं पार्टी संगठन, औरंगाबाद, कोशल्या प्रकाशन।
अम्बेडकर प्रकाश, 2004, समकालीन राजनीति एवं बहुजन आन्दोलन, औरंगाबाद, कोशल्या प्रकाशन।
गावस्कर महेश, 1994, बहुजन एज़ वैनगार्ड्स: बीएसपी एंड बीएमएस इन महाराष्ट्र, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 26 अप्रैल।
पलशिकर सुहास, 1994, पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र: अराइवल ऑफ द बहुजन इडियोम, द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जुलाई-सितंबर।
पलशिकर सुहास, रासेश्वरी देशपांडे और नितिन बिरमल, 2009, महाराष्ट्र चुनाव: सामाजिक अस्थिरता के बीच निरंतरता, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वीएलएक्सएलआईवी नंबर 48।
पवार प्रकाश, 2004, महाराष्ट्र का जाति संगठन और राजनीति, समाज प्रबोधन पत्रिका, अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर।
पवार प्रकाश, 2010, बहुजन पार्टी, पलशिकर सुहास और कुलकर्णी सुहास (सं.), पावर कॉन्फ्लिक्ट, समकालिन प्रकाशन, पुणे में।
पवार प्रकाश, 2011, समकालीन राजकिया चलवली: नवहिन्दुत्व वा जातसंगठना, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे।
यूपी: मायावती ने बदला प्रदेशाध्यक्ष, मुस्लिम को हटाकर अति पिछड़ा पर दांव aajtak.in नई दिल्ली, १६ नवंबर २०२
बसपा से खीरी के रामजी गौतम बने राज्यसभा सांसद 3 नवंबर 2020
अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म :UP के गाजीपुर से बसपा सांसद था, 4 साल की सजा मिलने के 56 घंटे बाद सांसदी गई दैनिक भास्कर नई दिल्ली 1 मई 2023